26/6/24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील ने उपस्थित हो प्रार्थना पत्र 212 RTA नोट शीट में खारिज करवाने का निवेदन करते हुये सहकारी पंजीयक कार्यालय को हस्तांतरित किये है। इस प्रकरण के संबंधित मूल वाद भी नोट शीट में खारिज करवाकर नामंजूर। इसलिये यह प्रार्थना पत्र 212 RTA नोट शीट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर कमरा रे किया हो। वाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Not Press
Adv.
26/6/24